"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2012—भाद्र 31, शक 1934

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-25/2011/19/स्था.-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, लोक निर्माण विभाग के (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के कॉलम (4) के सरल क्रमांक 4, 5, 6, 7 एवं 8 में, शीर्षक 'तृतीय श्रेणी (तकनीकी) कार्यपालन से भिन्न' के अंतर्गत, जहां कहीं भी शब्द "अराजपत्रित राज्यव्यापी कांडर" आया हो, के स्थान पर शब्द "जिला काडर" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-एक के कॉलम (4) के सरल क्रमांक 5, 6, 9, 10 एवं 11 में, शीर्षक 'तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)' के अंतर्गत, जहां कहीं भी शब्द "राज्यव्यापी काडर" आया हो, के स्थान पर शब्द "जिला काडर" प्रतिस्थापित किया जाये .

Raipur, the 20th September 2012

NOTIFICATION

No. F 3-25/2011/Est-3.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Works Department (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In serial number 4, 5, 6, 7 and 8 of column (4) of Schedule-I, under heading 'Class-III (Technical) other than executive', for the words "Non-Gazetted State Cadre" wherever it occurs the words "District Cadre" shall be substituted.

2. In serial number 5, 6, 9, 10 and 11 of column (4) of Schedule-I, under heading 'Class-III (Ministerial)', for the words "State Cadre" wherever it occurs the words "District Cadre" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.